

न्यायालय: अपर सिविल जज (सी०डि०), बागपत
पीठासीन अधिकारी- (SUSHRI ANKITA SINGH), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02557
UPBG050006922022



Civil Suit(Computer Registration No.)/356/2022

मूल वाद संख्या-314/2022
 अंकुर गोयल बनाम सौदान आदि

दिनांक:- 17.09.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं आया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत कई तिथियों से वादी अनुपस्थित चला आ रहा है। वादी को उपस्थित होने हेतु पूर्व में दिनांक 15.07.2025 को अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है, परंतु फिर भी आज न तो वादी व न ही उसके अधिवक्ता सुनवाई हेतु उपस्थित आए तथा न ही वादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को उपरोक्त वाद में कोई रुचि नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मूल वाद संख्या- 314/2022, अंकुर गोयल बनाम सौदान व अन्य, उभयपक्ष की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अंकिता सिंह-II)
 अपर सिविल जज (सी०डि०)
 बागपत